पंचायत समिति काँगड़ा, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2019 से 31.03.23
भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति काँगड़ा, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.19 से 31.03.23 के लेखों का अंकेक्षण, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01.04.19 से 31.03.23 के दौरान पंचायत समिति में निम्नलिखित अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यरत्त थेः–

अध्यक्षः

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति पुष्पा चौधरी	01.04.2019 से 21.01.2021
2	श्रीमति बबिता संधू	22.01.2021 से 31.03.2023

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिाकरी

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति अस्मिता	01.04.2019 से 06.07.2019
2	श्री चंद्रवीर सिंह	08.07.2019 से 12.02.2021
3	श्री केसर सिंह राणा	12.02.2021 से 28.09.2020
4	श्री प्रभाश जोशी	28.09.2020 से 31.12.2022
5	कु0 नेत्रा मेटी	09.01.2023 से 28.02.2023
6	श्री तेविंदर कुमार चिनोरिया	28.02.2023 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

पंचायत समिति काँगड़ा, विकास खण्ड काँगड़ा के लेखों अवधि 01.04.2019 से 31.03.2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.2	बैंक एवं रोकड़ बही के अन्तशेषों में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	21.29
2	5	प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	116.57
3	6.1	दुकानों के किराये की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	2.45
4	6.2	जी0एस0टी0 की वसूली न करना	0.23
5	7	निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	17.19
6	8	निर्वाचन विभाग को अनियमित भुगतान	7.42
7	9	अनियमित व्यय करने बारे	0.85
8	10	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन प्रस्तुत न करने बारे	10.10
9	11	बिना बिल के भुगतान करना	0.48
10	12	रॉयल्टी की कटौती न करना	0.11

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न दर्शाई गई है। गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनाँक 08.01.2024 द्वारा अवगत करवाया यगा जिसके उपरान्त संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जोकि संस्थान की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है एवं स्वतः आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा अपने स्तर पर ही केवल गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2016 से 03/2019 के कुछ अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही की गई।

अतः पंचायत समिति शेष लम्बित पैरों के निपटारे हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से यथा समय इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

(i) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2016 से 03/2019 तक

1	पैरा 03	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त)
2	पैरा 4 (2)	निर्णीत	
3	पैरा 4 (3)	निर्णीत	

4	पैरा 05	निर्णीत	
5	पैरा 06	निर्णीत	
6	पैरा 07	निर्णीत	
7	पैरा 08	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
8	पैरा 9.1	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
9	पैरा 9.2	निर्णीत	
10	पैरा 10	निर्णीत	
11	पैरा 11	निर्णीत	
12	पैरा 12	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
13	पैरा 13	निर्णीत	
14	पैरा 14	निर्णीत	
15	पैरा 15	निर्णीत	
16	पैरा 16	निर्णीत	
17	पैरा 17	निर्णीत	

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

पंचायत समिति काँगड़ा, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2019 से 31.03.2023 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनाँक 05.01.2024 से 27.01.2024 तक पंचायत समिति काँगड़ा के कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया।

क्र0सं0	वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1	2019—20	09 / 2019	04 / 2019
2	2020—21	08 / 2020	02 / 2021
3	2021—22	12 / 2021	07 / 2021
4	2022—23	07 / 2022	04 / 2022

अस्वीकरणः— इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त

पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वोल किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

पंचायत समिति काँगड़ा, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2019 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹10000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 20.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत समिति द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या–456375 के माध्यम से दिनाँक 19.02.2024 को निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–09 को भेज दिया गया है।

4 (क) वित्तीय स्थितिः–

पंचायत समिति काँगड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 01.04.2019 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट–1** के अनुसार निम्न प्रकार से थीः–

Consolidated Financial Position of Panchayat Smiti Kangra Distt, Kangra as on 31.03.2023

Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During the year	Interest Received (Saving)	Total	Expenditure	Closing Balance
2019-20	Own Sources	10280	60821	0	71101	39000	32101
	Grant-in-aid	6276379	15427808	804943	22509130	16518937	5990193
	Total	**6286659**	**15488629**	**804943**	**22580231**	**16557937**	**6022294**
2020-21	Own Sources	32101	32550	0	64651	52150	12501
	Grant-in-aid	5990193	1063119	0	7053312	5262927	1790385
	Total	**6022294**	**1095669**	**0**	**7117963**	**5315077**	**1802886**
2021-22	Own Sources	12501	43950	0	56451	7496	48955
	Grant-in-aid	1790385	1740495	0	3530880	1456788	2074092
	Total	**1802886**	**1784445**	**0**	**3587331**	**1464284**	**2123047**
2022-23	Own Sources	48955	64753	0	113708	67397	46311
	Grant-in-aid	2074092	10645065	927440	13646597	2035968.32	11610628.68
	Total	**2123047**	**10709818**	**927440**	**13760305**	**2103365.32**	**11656939.68**

(ख) अन्तशेष का विवरण

(i) दिनाँक 31.03.2023 को बैंक पास बुक के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि (₹)
1	एच0डी0एफ0सी0 काँगड़ा	50100081108848	3454184.00
2	के0सी0सी0 काँगड़ा	50070366856	41573.00
3	के0सी0सी0 काँगड़ा	20033050884	10289971.00
4	हस्तगत राशि		
		कुल योग	₹13785728.00
(ii) रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार दिनाँक 31.03.23 को अन्तशेष			₹11656939.68
		अन्तशेष में अन्तर	₹2128788.32

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹21.29 लाख का भारी अन्तर पाया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15 (10) के अनुसार पंचायत समिति रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत समिति की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया के पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनाँक 31.03.2023 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹2128788.32 का भारी अन्तर पाया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 (1) में दिया गया है, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 23.01.2024 व 10 दिनांक 24.01.2024 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है एवं स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः अन्तर के कारणों की वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये, अतिशीघ्र इस अन्तर का मिलान किया गया एवं भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना सुनिश्चित करें तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

4.3 पंचायत समिति की अतिरिक्त निधि को नियमानुसार सावधि जमा में निवेश न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 26 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव

पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके।

पंचायत समिति द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत समिति के पास प्रतिवर्ष समिति निधि में समुचित राशि उपलबध थी।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 अनुदान ₹116.57 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:–

पंचायत समिति द्वारा **परिशिष्ट "1"** पर अनुदानों (जिसमें स्वः स्त्रोतों की आय भी सम्मिलित है) से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31.03.2023 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹11656939.68 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत समिति द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरन व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत समिति द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति काँगड़ा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 व 10 दिनांक 24.01.2024 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है एवं स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः अतिशीघ्र उक्त वर्णित शेष अनुदान राशि को व्यय किया जाए तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

6 दुकानों से आय

6.1 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹2.45 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत समिति को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति काँगड़ा द्वारा दिनाँक 31.03.2023 तक दुकानों के किराए की बकाया राशि ₹244800/– वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

वर्ष	अथशेष	दुकानों की संख्या	किराया / दुकान	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष (₹)
2016–17	40950	10	300 / 350 (2x300/8x350)	40800	81750	32400	49350
2017–18	49350	10	300 / 350 (2x300/8x350)	40800	90150	32400	57750
2018–19	57750	10	300 / 350 (2x300/8x350)	40800	98550	29700	68850
2019–20	68850	11	350 / 600	49200	118050	21050	97000
2020–21	97000	10	350	42000	139000	14350	124650
2021–22	124650	10	350	42000	166650	37650	129000
2022–23	129000	10	300 / 1500 (350x1/1500x11)	168500	297500	52700	244800

देय किराये की राशि की वसूली न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 03 दिनांक 18.01.2024 व 10 दिनांक 24.01.2024 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है एवं जिससे स्वतः स्पष्ट होता है कि पंचायत समिति अपने राजस्व की समय पर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः किराये की नियमित उगाही न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये किराये की बकाया राशि ₹244800/– की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 दुकानों के किराये की ₹0.23 लाख जी0एस0टी0 की वसूली न करना:–

पंचायत समिति काँगड़ा के दुकानों की **परिशिष्ट–2** पर उपलब्ध करवाये गये विवरण की पड़ताल उपरान्त पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक विभिन्न दुकानों से किराये की वसूली की थी परन्तु वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 के अनुसार उस पर लगने वाले जी0एस0टी0 की गणना न करके ₹22635 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	किरायेदार का नाम	वसूली गई किराये की राशि (4/2019 से 03/2023)	18% जी0एस0टी0 की वसूली योग्य राशि
1	मैसर्ज सुमन प्रिंटिंग प्रेस	17500	3150
2	श्री प्रकाश चन्द	12250	2205
3	श्री ज्ञान चन्द काँगड़ा	25400	4572
4	श्री अजय नाथ	9800	1764
5	श्री अरूण कुमार	7700	1386
6	श्री परस राम काँगड़ा	13300	2394
7	श्रीमति अंजू सैनी काँगड़ा	13300	2394
8	श्री संजय कुमार काँगड़ा	13300	2394
9	श्री स्वरूप चन्द	13200	2376
	कुल योग	**₹125750**	**₹22635**

किराये की राशि के साथ जी0एस0टी0 की वसूली न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या–03 दिनाँक 18.01.2024 व 10 दिनाँक 24.01.2024 द्वारा पुनः सिंति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अतः दृष्टान्त मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाया जाये तथा तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार जी0एस0टी0 की वसूली न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये जी0एस0टी0 ₹22635 की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 दुकानों/स्टालों से सम्बन्धित अन्य अनियमिततायें:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति काँगड़ा द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई:–

(क) पंचायत समिति काँगड़ा द्वारा दुकानों/स्टालों को बिना किराया अनुबन्ध के किराये पर दिया गया था। यह एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत समिति को यह परामर्श दिया जाता है कि यथाशीघ्र उक्त दुकानों के किराये अनुबन्ध तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये ताकि भविष्य में होने वाले किसी प्रकार के कानूनी विवाद से बचा जा सके एवं दुकान आबंटन में किसी प्रकार की गड़बड़ी, विवाद की सम्भावना को भी नकारा जा सके एवं पंचायत समिति के हितों को सुरक्षित किया जा सके।

(ख) अंकेक्षण में पाया गया कि समिति द्वारा दुकानों के किराए में नियमानुसार समय–2 पर बढ़ौतरी नहीं की जा रही थी, जिससे कि समिति को अतिरिक्त आय की हानि हो रही है। अतः पंचायत

समिति को यह परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार नियमित रूप से किराए में बढ़ौतरी की जानी सुनिश्चित की जाये।

(ग) अंकेक्षण में पाया गया कि समिति द्वारा शॉप नं0 11 मै0 स्वरूप चन्द काँगड़ा को ₹600/– प्रतिमाह किराये पर दी गई थी परन्तु उक्त किरायेदारों द्वारा मार्च, 2020 तक ही किराये का भुगतान किया गया तथा इसके उपरान्त दुकान खाली दिखाई गई है। इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही पंचायत समिति द्वारा तथ्यों सहित अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार पंचायत समिति को 4/20 से 3/23 तक ₹21600 (600 x 36) वित्तीय हानि हुई है जोकि यह एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालना को लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

7 ₹17.19 लाख के निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारेः–

पंचायत समिति द्वारा पंचायत समिति निधि से अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्माण कार्यों के लिए पंचायत समिति कार्यालय व पंचायतों को अनुदान जारी किया गया था। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम 202 के नियम 88 के प्रावधानों एवं हि0प्र0 वित्त (रेगुलेशन) विभाग की दिनांक 08.12.23 की अधिसूचना अनुसार स्वीकृत राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र उनकी उपयोगिता के 6 मास के भीतर–2 विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित विभाग को भेजना अपेक्षित हैं, परन्तु निम्न विवरण अनुसार ₹1719000 निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

क्र0सं0	संस्था का नाम	शीर्ष	कार्य का विवरण	राशि (₹)
1	ग्राम पंचायत जोगीपुर	पंचायत समिति	जीप योग्य रास्ता मेन रोड से करतार चन्द के घर तक	108000
2	पंचायत समिति कार्यालय	पंचायत समिति	पंचायत समिति अध्यक्ष के कमरे का नवीनीकरण	111000
3	पंचायत समिति कार्यालय	पंचायत समिति	मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति के कार्यालय की कम्पलीशन व समिति हाल की पार्किंग	400000
4	ग्राम पंचायत बीरता	पंचायत समिति	कम्युनिटी सेंटर की मुरम्मत व उन्नयन	400000
5	ग्राम पंचायत पड़याली	पंचायत समिति	कम्युनिटी सेंटर का नवीनीकरण	300000

6	ग्राम पंचायत पलेरा	पंचायत समिति	कम्युनिटी सेंटर का नवीनीकरण	400000
			कुल योग	**₹1719000**

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या–06 दिनांक 19.01.2024 व 10 दिनांक 24.01.2024 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। अतः निर्माण कार्यों के लिए पंचायत समिति कार्यालय व पंचायतों को जारी की गई राशि ₹1719000 के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने सुनिश्चित किये जाएँ व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 निर्वाचन विभाग को पंचायत चुनावों/2021 के लिए पुर्नप्राप्ति (Recoupment) आधार पर पंचायत समिति निधि से ₹7.42 लाख को प्राप्त न करने पर अनियमित भुगतान बारेः–

पंचायत समिति द्वारा पंचायत चुनावों/2021 के लिए पंचायत समिति निधि से पुनर्प्राप्ति (Recoupment) आधार पर वाउचर संख्या 298 से 301 दिनांक 5.2.21 द्वारा चाय व जलपान हेतु ₹742144 का व्यय किया गया था। हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत समिति को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है जिस के लिए अनुदान मंजूर किए गए है, परन्तु निर्वाचन विभाग से ₹742144 प्राप्त करने बारे पूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा की समाप्ति तक पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की उक्त राशि को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि पंचायत निधि से चुनावों के लिए व्यय की उक्त राशि उचित प्रभार नहीं है अन्यथा राशि की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त उक्त राशि में से वाउचर संख्या 298 द्वारा ₹626772/– का व्यय चाय/जलपान हेतु मैसर्ज शर्मा करियाना एवं जनरल स्टोर जमानाबाद तहसील व जिला काँगड़ा को उनके बिल संख्या 102 से 157 की एवज में भुगतान किया गया था जबकि समस्त बिलों की नमूना पड़ताल उपरान्त पाया गया कि सभी बिल बिना GST No. के थे और न ही भुगतान बारे कोई भी औपचारिकता पूर्ण की गई प्रतीत होती है तथा जमानाबाद की दूरी पंचायत समिति कार्यालय से लगभग 5 किलोमीटर है। अतः चाय/जलपान हेतु बिना GST No. के भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता है।

इसके अतिरिकत वाउचर संख्या 299 व 301, दिनांक 5.2.21 द्वारा राशि ₹115372 (₹22200 + ₹63172 + ₹30000) स्टेशनरी, फोटोस्टेट व मुरम्मत इत्यादि के लिए भुगतान बिना औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने बारे भी कोई भी अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या–01 दिनाँक 18.01.2024 व 10 दिनांक 24.01.2024 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः पंचायत समिति निधि से निर्वाचन विभाग को पुनर्प्राप्ति आधार पर जारी की गई ₹742144 को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 पंचायत समिति निधि से ₹0.85 लाख का अनियमित व्यय करने बारेः–

पंचायत समिति द्वारा निधि से वॉउचर संख्या 302 व 303 दिनाँक 8.2.21 द्वारा मैसर्ज शर्मा करियाना स्टोर डगवार तहसील धर्मशाला को उनके बिल संख्या 169 व 175 दिनांक शून्य द्वारा ₹84684 (₹38684 + ₹46000) का भुगतान सोफे की मुरम्मत हेतु किया गया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है जिसको नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त उक्त राशि का व्यय मुरम्मत इत्यादि बिना औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने बारे भी तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करें। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 19.01.2024 व 10 दिनांक 24.01.2024 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः पंचायत समिति निधि से मुरम्मत के लिए भुगतान की गई राशि ₹84684 को नियमानुसार न्यायसंगत ठहराया जाये अन्यथा प्रश्नात्मक राशि को उचित स्त्रोत से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 निर्माण कार्यों पर ₹10.10 लाख के प्राक्कलन तैयार न करने व प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी प्रस्तुत न करने बारेः–

पंचायत समिति द्वारा पंचायत समिति निधि से अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्माण कार्यों के लिए पंचायत समिति भवन का अपबर्धन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निवास का नवीनीकरण, पंचायत समिति अध्यक्ष के कमरे का नवीनीकरण व पार्किंग के लिए अनुदान ₹1010000जारी किया गया था। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 के प्रावधानों अनुसार स्वीकृत राशियों के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्राक्कलन तैयार करना व प्राधिकृत तकनीकी प्राधिकारी से तकनीकी मंजूरी व प्रपत्र–31 में मंजूर प्राक्कलन का रजिस्टर बनाए रखेगा। अंकेक्षण में जाँच हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) की उल्लंघना के दृष्टिगत एक गम्भीर अनियमितता है। निर्माण कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	कार्य का विवरण	राशि (₹)
1	पंचायत समिति	पंचायत समिति भवन अपवर्धन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा के आवास का नवीनीकरण	500000
2	पंचायत समिति	पंचायत समिति अध्यक्ष के कमरे का नवीनीकरण	110000
3	पंचायत समिति	मुख्य कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय की कम्पलीशन व पंचायत समिति हाल की पार्किंग इत्यादि	400000
		कुल योग	**₹1010000**

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 24.01.2024 व 10 दिनांक 24.01.2024 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः पंचायत समिति निधि से निर्माण कार्यों के लिए भुगतान की गई ₹1010000 के प्राक्कलन तैयार करना व प्राधिकृत तकनीकी प्राधिकारी से तकनीकी मंजूरी प्रपत्र–31 में उंजूर प्राक्कलन का रजिस्टर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 बिना बिल के ₹0.48 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे:–

पंचायत समिति के अंकेक्षण अवधि के दौरान चयनित मासों के व्यय वाउचर की पड़ताल उपरान्त पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा मैसर्ज शिवानजली बिल्डर्स बोडरभल्ला टांडा रोड काँगड़ा को वाउचर संख्या 304 दिनाँक 9.2.21 द्वारा ₹48300/– का भुगतान बिना बिल के ही कर दिया गया था जोकि अनियमिता प्रतीत होता है। इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 24.01.2024 व 10 दिनाँक 24.01.2024 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि स्वतः आपत्तिजनक है। अतः पंचायत समिति निधि से बिना बिल के अनियमित भुगतान को या तो तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अथवा प्रश्नात्मक राशि की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से ₹0.11 लाख की राजस्व हानिः–

हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग के पत्र संख्याः 5–49/79–IND(Geologist) Rules, 2015-Vol-iv-1175 दिनांक 12.05.2015 द्वारा हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल (कन्सेशन) नियम 1971 का निरसन कर हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल (कनसेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इल्ललीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टर्शन एवं स्टोरेज) नियम 2015 को दिनांक 13.03.2015 से लागू कर दिया है। इस नियम के अनुसार विकास कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिये आपूर्तिकर्ता को माइनिंग अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र/फार्म "W" या फार्म "X" लेकर पंचायत समिति को देना अनिवार्य है। यदि यह प्रमाण पत्र निर्धारित फॉर्म नहीं देता है, तो पंचायत समिति आपूर्ति बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी को बिल से काटेगी और प्राप्त राशि को सरकारी खजाने मुख्य शीर्ष "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कॉन्सस फीस किराया एवं रॉयल्टीज "01" खनिज फीस रियायत आदि प्राप्ति "05" वेज एवं मीन्स फिगर्स में जमा करेगी।

पंचायत समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार चुन्दिा वॉउचर के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री का क्रय किया गया था, किन्तु आपूर्तिकर्ताओं/सप्लायर से न तो नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र/निर्धारित फर्म लिया गया न ही पंचायत समिति के सप्लाई बिलों से कोई रॉयल्टी काटी गई, परिणामस्वरूप हि0प्र0 सरकार को राशि ₹11040/– की रॉयल्टी के रूप में राजस्व की हानि हुई, जोकि अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक वित्तीय अनियमितता हैः–

क्र0सं0	आपूर्तिकर्ता	वा0सं0/दिनांक/बिल0सं0/दिनांक	मद का नाम	मात्रा (SFT/Sqft)	मात्रा (Cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा (मी0 टन)	रॉयल्टी प्रति मी0 टन	राशि (₹)
अनुदान पंचायत समिति									
1	मैसर्ज शिवानजली बिल्डर्स बोडरभल्ला टांडारोड कॉंगडा	304/8.2.21 शून्य	रेत बजरी बोल्डर		7.59 14.22 13.40	1.60 1.46 2.24	12.14 20.46 30	80 80 80	971 1637 2400
2	मैसर्ज पंकज परवान ठेकेदार कॉंगड़ा	329/6.7.21 16/17/15.7.21	रेत बजरी		22.30 27.20	1.60 1.46	35.68 39.71	80 80	2855 3177
							योग	₹11040	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 9 दिनांक 24.1.2024 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति काँगड़ा को तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी पंचायत समिति के द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः अंकेक्षण अवधि हेतु ऐसे अन्य मामलों की जाँच कर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉलयटी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके अन्यथा दृष्टांत प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 नियमानुसार खाता बहियाँ (Ledger) तैयार न करने बारेः–

पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1) के अन्तर्गत प्रारूप–7 व वित्त नियम–4 के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना अपेक्षित हैं।

अंकेक्षण में पाया कि पंचायत समिति में वर्ष 2019–20 से 2022–23 में खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी। जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई। कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी। अतः खाता बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमानुसार प्रतिवर्ष खाता बहियाँ तैयार करना सुनिश्चित किया जाए एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

14 विविध अनियमिततायें

14.1 अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत समिति काँगड़ा द्वारा सचिवों/सहायकों के वेतन से सम्बन्धित SCR/PAY-ROLL रजिस्टर अवधि 12/2021 से 03/2023 तक तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में उक्त अवधि में किये गये वेतन भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 24.01.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जो स्वतः आपत्तिजनक है।

अतःउक्त अभिलेखों/रजिस्टरों का अनुरक्षण करके सक्षम अधिकारी से सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

15 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के अनुसार पंचायत समिति को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है।

पंचायत समिति के लेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर0टी0जी0एस0/ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई थी। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

16 विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत समिति द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01 दिनांक 4.01.2024 द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक निम्न रजिस्टर/अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण/रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	15 (1)
2	मॉग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
3	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
5	निर्माण कार्य रजिस्टर	——	103
6	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95 (1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डर रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी
8	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिए जाने वाले/मानेदय का रजिस्टर	——	——

17 भण्डार का भौतिक सत्यापन न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 अन्तर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के अन्तर्गत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप से उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार भण्डार में पड़े सामान का भौति सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाये।

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** इसे अलग से जारी नहीं की गई है।

19 **निष्कर्षः–** लेखों में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।

19 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

का०/50
3492–3495

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल०ए०)एच(पंच)(15) (2) 257/2019 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा जिला काँगड़ा हि०प्र०।
4. पंजीकृत — खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

19 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

का०/50

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी. पंचायत समिति काँगड़ा ।		
वित्तीय विवरण स्वस्त्रोत		
वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2022-2023 तक		
क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2019-20	राशी
1	अथ शेष	10280
2	आय	60821
3	**योग**	**71101**
4	कुल व्यय	39000
5	**अंत शेष**	**32101**
क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2020-21	राशी
1	अथ शेष	32101
2	आय	32550
3	**योग**	**64651**
4	कुल व्यय	52150
5	**अंत शेष**	**12501**
क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2021-22	राशी
1	अथ शेष	12501
2	आय	43950
3	**योग**	**56451**
4	कुल व्यय	7496
5	**अंत शेष**	**48955**
क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2022-23	राशी
1	अथ शेष	48955
2	आय	64753
3	**योग**	**113708**
4	कुल व्यय	67397
5	**अंत शेष**	**46311**

A.C (Audit)

Secretary
Panchayat Samitti Kangra (HP)

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी. पंचायत समिति काँगड़ा ।

वित्तीय विवरण अनुदान

वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2022-2023 तक

क्रमांक	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**राशी**
1	अथ शेष	6276379
2	आय (पंचायत समिति)	16232751
3	योग	**22509130**
4	व्यय (पंचायत समिति)	16518937
5	**अंत शेष**	**5990193**

क्रमांक	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**राशी**
1	अथ शेष	**5990193**
2	आय(पंचायत समिति)	1063119
3	**योग**	**7053312**
4	व्यय (पंचायत समिति)	5262927
5	**अंत शेष**	**1790385**

क्रमांक	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**राशी**
1	अथ शेष	**1790385**
2	आय(पंचायत समिति)	1740495
3	**योग**	**3530880**
4	व्यय (पंचायत समिति)	1456788
5	**अंत शेष**	**2074092**

क्रमांक	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**राशी**
1	अथ शेष	**2074092**
2	पंचायत समिति	11572505
3	**योग**	**13646597**
4	व्यय (पंचायत समिति)	2035968.32
5	**अंत शेष**	**11610628.68**

Secretary
Panchayat Samiti Kangra (HP)

AC (Audit)

Detail of Shop Rent as on 31-3-2023

	1-4-2019 to 31-3-2023						
Year	Opening Balance	No. of Shop	Rent	Demand	Total	Receipt	Outstanding
2019-20	68850	11	350/600	49200	118050	21050	97000
2020-21	97000	10	350	42000	139000	14350	124650
2021-22	124650	10	350	42000	166650	37650	129000
2022-23	129000	10	350/1500	168500	297500	52700	244800

Secretary
Panchayat Samiti Kangra (HP)

Checked
A.C (Audit)